(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 06/2024-State Tax

Dated: 08/01/2025

No. F.3 (23)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 36 — In exercise of the powers conferred by section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Public Tech Platform for Frictionless Credit" as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of Section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017).

Explanation.— For the purpose of this notification, "Public Tech Platform for Frictionless Credit" means an enterprise-grade open architecture information technology platform, conceptualised by the Reserve Bank of India as part of its "Statement on Developmental and Regulatory Policies" dated the 10th August, 2023 and developed by its wholly owned subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, for the operations of a large ecosystem of credit, to ensure access of information from various data sources digitally and where the financial service providers and multiple data service providers converge on the platform using standard and protocol driven architecture, open and shared Application Programming Interface (API) framework.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

No. F.3 (23)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/ 36 **Dated: 08/01/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या–06/2024–राज्य कर

दिनांकः 08/01/2025

सं.फा.3(23)/वित्त(व्यय–I)/2024–25/डीएस–I/36 : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) की धारा 158ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस कैडिट" को उस प्रणाली के रूप में अधिसूचित करते हैं जिसके साथ दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 158ए की उप–धारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस कैडिट" से उद्यम–श्रेणी का एक ओपन आर्किटेक्चर सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 अगस्त, 2023 को "विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन" पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के वृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डेटा स्रोतों से डिजिटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डेटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकॉल चलित आर्किटेक्चर, ओपन साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते किसी मंच पर मिलते है, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3(23)/वित्त(व्यय–I)/2024–25/डीएस–I/36

दिनांकः 08/01/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
3 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साइट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)